

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29012026-269658
SG-DL-E-29012026-269658असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2026/माघ 9, 1947 [रा.रा.क्ष.दि. सं. 438
No. 28] DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2026/MAGHA 9, 1947 [N. C. T. D. No. 438

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवित्त विभाग
(राज्य संसाधन प्रभाग)
अधिसूचना
दिल्ली, 29 जनवरी, 2026

राज्य सरकार प्रतिभूति की बिक्री तथा जारी करना

ई-फा. सं. एफआईएन-एसआरडी 034/19/2025-एसआरडी-एफडी-पार्ट(1)/313189/18.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूति (तत्पश्चात "प्रतिभूति" के रूप में संदर्भित) की बिक्री तथा जारी करने हेतु नियम एवं शर्तों को अधिसूचित करती है,

2. नाम तथा प्रयोज्यता

i. इस अधिसूचना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री तथा जारी करने हेतु सामान्य अधिसूचना (तत्पश्चात 'सामान्य अधिसूचना' के रूप में संदर्भित) कहा जाए।

ii. प्रतिभूतियों की विक्री तथा जारी करना इस अधिसूचना में निहित सामान्य नियम एवं शर्तों तथा किसी विशिष्टप्रतिभूति के निर्माण तथा जारी करने के संबंध में जारी किए जा सकने वाले किसी अन्य अधिसूचना (तत्पश्चात "विशिष्ट अधिसूचना" के रूप में संदर्भित) के अधीन होगा।

3. उद्देश्य

इस अधिसूचना का उद्देश्य प्रतिभूति जारी करने पर लागू होने वाले नियम एवं शर्तों तथा विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों को जारी करने की कुछ विशेषताओं और पद्धतियों को सूचीबद्ध करना है। प्रतिभूतियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(1) के अनुसरण में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) की समेकित निधि की प्रतिभूति पर जारी की जाएंगी।

4. प्रतिभूति के प्रकार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समय-समय पर निम्नलिखित प्रकार की प्रतिभूतियां जारी कर सकती हैं:

i. निश्चित कूपन दर वाली प्रतिभूति

क) प्रतिभूतियों पर एक विशिष्ट कूपन दर होती है, जो अंकित मूल्य पर लागू होती है, जिसे नीलामी या अन्यथा पर निर्धारित किया जाता है, जैसा कि प्रासंगिक विशिष्ट अधिसूचना में निर्दिष्ट हैतथा प्रतिभूतियों की अवधि के दौरान निश्चित रहती है।

ख) प्रतिभूतियां, अंकित मूल्य पर छूट पर, सममूल्य पर या प्रीमियम पर जारी की जा सकती हैं।

ग) प्रतिभूतियां एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के साथ जारी नहीं की जा सकती हैं।

घ) प्रतिभूतियां अंकित मूल्य पर या विशिष्ट अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसार प्रतिदाय की जा सकती हैं।

ii. प्रासंगिक विशिष्ट अधिसूचना में अधिसूचित अन्य विशेषताओं वाली प्रतिभूति।

5. सामान्य नियम एवं शर्तें

सभी प्रतिभूतियों की विक्री तथा जारी करने पर लागू होने वाले सामान्य नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार होंगी:

i. पात्र निवेशक

क) भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसमें फर्म, कंपनियाँ, कॉर्पोरेट निकाय, संस्थान, अन्य राज्य सरकारें, विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश, भविष्य निधि, पेंशन निधि, ट्रस्ट, हिंदू अविभाजित परिवार तथा वैयक्तिक शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं।

ख) कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता है और जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (क्रृष्ण लिखित) विनियमन, 2019 के नियमों में प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है।

ii. प्रतिभूति की विक्री तथा जारी करने की प्रक्रिया

प्रतिभूतियों की विक्री तथा जारी करने के लिए संचालन प्रक्रिया और अन्य विवरण जैसे जारी करने की तिथि एवं स्थान, अवधि, जारी करने का तरीका, आदि, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति या ऐसे अन्य माध्यमों से घोषित किए जाएंगे जो आवश्यक समझे जाएं।

iii. प्रपत्र

प्रतिभूति निवेशकों को उनके सहायक सामान्य खाताबही (एसजीएल) लेखे या घटक सहायक खाताबही (सीएसजीएल) लेखे में जमा करके जारी की जाएंगी, जो रिज़र्व बैंक के पास अनुरक्षित किए गए हैं या किसी अन्य रूप में जैसा कि सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमति दी जा सकती है।

iv. न्यूनतम अंशदान

प्रतिभूति न्यूनतम ₹10,000 (अंकित मूल्य) की राशि के लिए तथा तत्पश्चात ₹10,000/- के गुणकों में, या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा केंद्र शासित प्रदेश सरकार के परामर्श से निर्दिष्ट किसी अन्य राशि के लिए जारी की जाएंगी।

v. भुगतान

सफल एसजीएल/सीएसजीएल खाता धारकों द्वारा भुगतान विशिष्ट अधिसूचना में यथा उल्लिखित तिथियों पर या रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट अनुसार, रिजर्व बैंक के साथ उनके चालू खाते को नामे करने के अधिकार के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण या रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य माध्यम से किया जाएगा।

vi. कूपन

क) प्रतिभूति पर कूपन का भुगतान रिजर्व बैंक के सार्वजनिक ऋण कार्यालय (पीडीओ) द्वारा किया जाएगा। रिजर्व बैंक/एजेंसी के किसी भी कार्यालय में बॉन्ड खाता वही लेखे में रखी गई प्रतिभूति पर कूपन का भुगतान, जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया गया है, उस कार्यालय/एजेंसी में किया जाएगा।

ख) कूपन का भुगतान, राशि को निकटतम पूरे रूपये में पूर्णांकित करने के पश्चात् किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, पचास पैसे से कम कूपन की राशि को अनदेखा किया जाएगा और पचास पैसे या उससे अधिक को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

vii. पुनर्भुगतान

क) प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान रिजर्व बैंक के पीडीओमें या किसी अन्य संस्थान में किया जाएगा जहां वे पुनर्भुगतान के समय पंजीकृत हैं।

ख) प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान विशिष्ट अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट प्रतिदान की तिथि पर किया जाएगा या प्रतिभूति में केंद्र शासित प्रदेश सरकार/विकल्प धारक द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के मामले में अंतर्निहित विकल्प वाली उनकी निर्दिष्ट प्रतिदान की तिथियों से पहले किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

ग) प्रतिभूतियों को उनकी निर्दिष्ट प्रतिदान की तिथि से पहले, बायबैक नीलामी के माध्यम से तय कीमत पर, रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र शासित प्रदेश सरकार से परामर्श करके तय की गई किसी भी तिथि पर वापस खरीदा जा सकता है।

viii. हस्तांतरणीयता

क) प्रतिभूतियों को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियमन, 2007 के प्रावधानों और इस अधिसूचना की शर्तों तथा इस संबंध में जारी किए जा सकते वाले किसी अन्य अधिसूचना के अनुसार नवीनीकृत, उप-विभाजित, समेकित, परिवर्तित या हस्तांतरित किया जा सकता है।

ख) प्रतिभूति को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने पर विशिष्ट अधिसूचना के अनुसार शर्तें लागू होंगी।

ग) भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का हस्तांतरण विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत बनाए गए विनियमन और उसके अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के अधीन होगा।

ix. लागू कानून

क) प्रतिभूतियों को सब्सक्राइब करने वाले या रखने वाले सभी व्यक्तियों के अधिकार सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2007 के अनुसार तय किए जाएंगे, जिसे इस अधिसूचना और समय-समय पर जारी किए जा सकते वाले किसी अन्य अधिसूचना की शर्तों के साथ पढ़ा जाएगा।

ख) भारत में इस समय लागू कर कानूनों के प्रावधान निवेशक या प्रतिभूति धारक की कर देनदारी का आकलन और निर्धारण करने के उद्देश्य से लागू होंगे।

ग) प्रतिभूतियों से संबंधित कोई भी विवाद भारत में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

6. प्रतिभूति जारी करने के तरीके

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित तरीकों से प्रतिभूतियों को जारी कर सकती है:

i. नीलामी के माध्यम से प्रतिभूति जारी करना

क) प्रतिभूतियां तो यील्ड के आधार पर या कीमत के आधार पर नीलामी के माध्यम से जारी की जाएंगी। जहां समय-समय पर कूपन का भुगतान करने वाली प्रतिभूतियों को जारी करना यील्ड के आधार पर होता है, तो कूपन रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामी में तय किया जाता है, जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है या विशिष्ट अधिसूचना में बताया गया है। जहां समय-समय पर कूपन का भुगतान करने वाली प्रतिभूतियों को जारी करना कीमत के आधार पर होता है, तो कूपन पहले से तय होगा।

ख) नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्णीत किसी अन्य प्लेटफॉर्म/सिस्टम पर जमा की जानी चाहिए। रिजर्व बैंक असाधारण परिस्थितियों में भौतिक बोलियां जमा करने की अनुमति दे सकता है।

ग) प्रतिस्पर्धी बोली लगाने वाला एक ही/अलग-अलग यील्ड दरों या कीमतों पर कई बोलियां जमा कर सकता है, जैसा भी मामला हो। एक आवेदक द्वारा एक नीलामी में जमा की गई बोलियों की कुल राशि अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

घ) प्राप्त बोलियों के आधार पर, रिजर्व बैंक अधिकतम यील्ड दर या न्यूनतम कीमत तय करेगा, जैसा भी मामला हो, जिस पर नीलामी में प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए बोलियाँ स्वीकार की जाएंगी। समय-समय पर कूपन देने वाली प्रतिभूतियों के लिए यील्ड-आधारित नीलामी में तय की गई अधिकतम यील्ड दर उन प्रतिभूतियों के लिए प्रति वर्ष कूपन दर होगी।

ङ.) रिटेल निवेशक रिजर्व बैंक द्वारा घोषित गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की मौजूदा योजना के अनुसार 'गैर-प्रतिस्पर्धी' आधार पर नीलामी में भाग ले सकते हैं।

च) रिजर्व बैंक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके, 'विशिष्ट अधिसूचना' में निर्दिष्ट की गई राशि तक अतिरिक्त अंशदान रख सकता है।

छ) प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए नीलामी (यील्ड आधार या कीमत आधार) 'एकसमान कीमत' विधि या 'एकाधिक कीमत' विधि या रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र शासित प्रदेश सरकार के साथ समय-समय पर तय की गई किसी अन्य विधि के अनुसार आयोजित की जा सकती है।

(ए) जहाँ नीलामी 'यूनिफॉर्म प्राइस' विधि के अनुसार आयोजित की जाती है, वहाँ रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई अधिकतम यील्ड दर तक या न्यूनतम बोली कीमत तक की प्रतिस्पर्धी बोलियाँ, अधिकतम यील्ड दर या न्यूनतम बोली कीमत पर स्वीकार की जाएंगी। अधिकतम यील्ड दर से अधिक या न्यूनतम कीमत से कम बताई गई बोलियाँ अस्वीकार कर दी जाएंगी।

(बी) जहाँ नीलामी 'एकाधिक कीमत' विधि पर आयोजित की जाती है, वहाँ रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई अधिकतम यील्ड दर या न्यूनतम बोली कीमत तक की प्रतिस्पर्धी बोलियाँ संबंधित बोली दर पर स्वीकार की जाएंगी। यील्ड-आधारित नीलामी में, सफल बोली लगाने वालों को, जिनकी बोलियाँ स्वीकार की गई अधिकतम यील्ड दर से कम हैं, तो कीमत के अंतर का भुगतान करना अपेक्षित होगा। अधिकतम यील्ड दर से अधिक या न्यूनतम कीमत से कम बताई गई बोलियाँ, जो पूर्णतः निर्धारित हो, अस्वीकार कर दी जाएंगी।

ज) रिजर्व बैंक, केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के साथ सलाह करके, बिना कोई कारण बताए, किसी भी अथवा सभी बोलियों को पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्वीकार कर सकता है।

ii. **ऑन-टैप बिक्री के माध्यम से प्रतिभूति जारी करना**

क) ऑन-टैप बेची जाने वाली प्रतिभूतियों के संबंध में अधिसूचना में जारी करने की राशि बताई जा सकती है या नहीं भी बताई जा सकती है।

ख) पूरी तरह से भरे हुए और सभी तरह से पूर्ण आवेदन, रिजर्व बैंक के कार्यालय या इस प्रयोजनार्थ अधिसूचित किसी दूसरे कार्यालय में, निर्धारित तिथि (तिथियों) पर रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए तय समय/बैंकिंग वंटों के खत्म होने से पहले जमा किए जाने चाहिए।

ग) ऐसी प्रतिभूति की बिक्री पूरे साल या साल के कुछ हिस्से तक बढ़ाई जा सकती है और बिक्री किसी भी दिन किसी भी समय या रिजर्व बैंक द्वारा, केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके, बताए अनुसार बंद की जा सकती है।

घ) रिजर्व बैंक, केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के साथ सलाह करके, बिना कोई कारण बताए, किसी भी अथवा सभी बोलियों को पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्वीकार कर सकता है।

iii. **मौजूदा प्रतिभूतियों को परिवर्तित करके नई प्रतिभूतियां जारी करना/बदलना**

क) रिजर्व बैंक, केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके, प्रतिभूति धारकों को कुछ मौजूदा प्रतिभूतियों को विनिर्दिष्ट कीमत पर या नीलामी में यथानिर्धारित कीमत पर अन्य प्रतिभूतियों में बदलने का विकल्प दे सकता है।

ख) रिजर्व बैंक, बिना कोई कारण बताए, किसी भी अथवा सभी बोलियों को पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्वीकार कर सकता है।

iv. रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके केन्द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा किसी अन्य तरीके को अधिसूचित किया जा सकता है।

शूरबीर सिंह, सचिव (वित्त)

FINANCE DEPARTMENT**(State Resource Division)****NOTIFICATION**

Delhi, the 29th January, 2026

Sale and Issuance of State Government Securities

E-F. No. FIN-SRD034/19/2025-SRD-FD-Part(1)/313189/18.— Government of National Capital Territory of Delhi hereby notifies the terms and conditions for sale and issuance of Government Securities issued by the Government of National Capital Territory of Delhi (hereinafter referred to as “Securities”),

2. Name and Applicability

- i. This Notification shall be called as the ‘General Notification for Sale and Issuance of Government Securities by the Government of National Capital Territory of Delhi’ (hereinafter referred to as ‘General Notification’).
- ii. Sale and issuance of Securities shall be subject to the general terms and conditions contained in this Notification and any other notification that may be issued with respect to creation and issuance of any specific Security (hereinafter referred to as “Specific Notification”).

3. Objective

The objective of this Notification is to list out the terms and conditions applicable to issuance of Securities and certain features and methods of issue of different types of Securities. The Securities will be issued upon the security of the Consolidated Fund of the Union Territory (UT) of Delhi in accordance with Article 293(1) of the Constitution of India.

4. Types of Securities

Government of National Capital Territory of Delhi may issue, from time to time, the following types of Securities:

i. Fixed Coupon Rate Securities

- a) Securities carry a specific coupon rate, applied to the face value, determined at auction or otherwise, as specified in relevant Specific Notification, and remain fixed during the tenor of the Securities.
- b) Securities may be issued at a discount, at par or at a premium to the face value.
- c) Securities may be issued with original maturity of not less than one year.
- d) Securities may be redeemed at face value or as specified in the Specific Notification.

- ii. Securities with other features as notified in the relevant Specific Notification

5. General Terms and Conditions

The general terms and conditions applicable to sale and issuance of all Securities will be as under:

i. Eligible Investors

- a) Any person resident in India, including but not limited to firms, companies, corporate bodies, institutions, other State Governments, UTs with legislature, provident funds, pension funds, trusts, Hindu Undivided Family and individuals.
- b) Any person resident outside India permitted to invest in Securities in terms of the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 issued under Foreign Exchange Management Act, 1999.

ii. Procedure of Sale and Issue of Securities

The operational procedure and other details such as date and place of issuance, tenor, issuance method, etc., for sale and issue of securities, shall be announced by the Reserve Bank of India (the Reserve Bank) through a press release or such other means as may be considered necessary.

iii. Form

Securities shall be issued to the investors by credit to their Subsidiary General Ledger¹ (SGL) account or to Constituents’ Subsidiary Ledger² (CSGL) account, maintained with the Reserve Bank or in such other form as may be permitted under the provisions of the Government Securities Act, 2006.

¹ A subsidiary General Ledger (SGL) Account shall mean an account opened and held with the Reserve Bank for holding or/and transacting in Government Securities.

² CSGL is the SGL account opened and maintained with the Reserve Bank by an agent on behalf of the constituent of such agent.

iv. Minimum Subscription

Securities will be issued for a minimum amount of ₹10,000 (Face Value) and in multiples of ₹10,000/- thereafter, or any other amount as specified by the Reserve Bank of India (RBI), in consultation with the UT Government.

v. Payment

Payment shall be made by the successful SGL/CSGL account holders on such dates as mentioned in the Specific Notification or as specified by the Reserve Bank, by means of an authority to debit their current account with the Reserve Bank or by Electronic Fund Transfer or any other means as stipulated by the Reserve Bank.

vi. Coupon

- a) Coupon on Securities will be paid by the Public Debt Offices (PDOs) of the Reserve Bank. Coupon on Securities held in Bond Ledger Account with any of the offices of the Reserve Bank/ Agency, as specified by the Reserve Bank in this behalf, will be paid at such Office/Agency.
- b) Coupon will be paid after rounding off the amount to the nearest whole rupee. For this purpose, amount of coupon less than fifty paise will be ignored and fifty paise or more will be rounded off to the next rupee, unless specified otherwise.

vii. Repayment

- a) Securities will be repaid at PDO of the Reserve Bank or at any other institution at which they are registered at the time of repayment.
- b) Securities will be repaid on the date of redemption as specified in the Specific Notification or before their specified redemption dates in case of exercise of option by the UT Government / option holder in Securities with embedded options, as the case may be.
- c) Securities may be bought back before their specified redemption date, at a price determined through a buyback auction, on any date determined by the Reserve Bank, in consultation with the UT Government.

viii. Transferability

- a) Securities can be renewed, sub-divided, consolidated, converted or transferred in accordance with the provisions of the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Regulations, 2007 framed thereunder and the terms of this notification and any other notification which may be issued in this regard.
- b) The conversion of security from one form to another will be subject to the conditions as per the Specific Notification.
- c) The transfer of Securities by person resident outside India shall be subject to Regulations framed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Directions issued thereunder.

ix. Applicable Laws

- a) The rights of all persons subscribing to or holding the Securities shall be determined in accordance with the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Regulations, 2007 framed thereunder, read with the terms of this Notification and any other Notification as may be issued from time to time.
- b) The provisions of the tax laws, for the time being in force in India, will be applicable for the purpose of assessing and determining the tax liability of the investor or holder of the Securities.
- c) Any dispute in relation to the Securities shall be subject to the jurisdiction of the Courts in India.

6. Modes of issue of Securities

Government of National Capital Territory of Delhi may issue Securities through following modes:

i. Issue of Securities through auction

- a) Securities will be issued through auction, either on yield basis or price basis. Where the issue of the Securities paying periodic coupon is on yield basis, the coupon is decided in an auction conducted by the Reserve Bank in the manner as provided hereinafter or as stated in the Specific Notification. Where the issue of the Securities paying periodic coupon is on price basis, the coupon will be pre- determined.
- b) Both competitive and non-competitive bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank's Core Banking Solution or any other platform/ system as decided by the Reserve Bank. The Reserve Bank may permit submission of physical bids under exceptional circumstances.
- c) Competitive bidder may submit multiple bids at same/different rates of yield or prices, as the case may be. The aggregate amount of bids submitted by an applicant in an auction should not exceed the notified amount.

- d) On the basis of the bids received, the Reserve Bank will determine the maximum rate of yield or the minimum price, as the case may be, at which bids for purchase of Securities will be accepted in the auction. Maximum rate of yield determined in a yield-based auction for the Securities paying periodic coupon will be the per annum coupon rate for those Securities.
- e) Retail Investors can participate in an auction on 'non-competitive' basis as per the extant Scheme of Non-competitive Bidding Facility announced by the Reserve Bank.
- f) The Reserve Bank, in consultation with the UT Government, may retain additional subscription up to an amount as may be specified in the 'Specific Notification'.
- g) The auction for issue of Securities (yield basis or price basis) can be held as per 'Uniform price' method or 'Multiple price' method or any other method as decided by the Reserve Bank, in consultation with UT Government from time to time.
 - (A) Where an auction is held as per 'Uniform price' method, competitive bids with rates up to and including the maximum rate of yield or the prices up to and including the minimum bid price, as determined by the Reserve Bank, will be accepted at the maximum rate of yield or minimum bid price. Bids quoted higher than the maximum rate of yield or lower than the minimum price, so determined, will be rejected.
 - (B) Where an auction is held on 'Multiple price' method, competitive bids up to the maximum rate of yield or the minimum bid price, as determined by the Reserve Bank will be accepted at the respective bid rate. In yield-based auction, successful bidders, whose quotes are lower than the maximum rate of yield accepted, are required to pay the price differential. Bids quoted higher than the maximum rate of yield or lower than the minimum price, so determined, will be rejected.
- h) The Reserve Bank, in consultation with UT Government, may reject any or all bids either wholly or partially, without assigning any reason thereof.

ii. Issue of Securities through On-tap sale

- a) The amount of issuance may be/may not be indicated in the notification in respect of the Securities sold on tap.
- b) Applications, duly filled in and complete in all respect, should be submitted to the office of the Reserve Bank or any other office notified for the purpose, before the close of specified time/banking hours notified by the Reserve Bank on the specified date(s).
- c) Sale of such Securities may be extended to whole, or part of the year and the sale may be closed at any time on any day or as specified by the Reserve Bank, in consultation with the UT Government.
- d) The Reserve Bank, in consultation with the UT Government, may reject any or all bids either wholly or partially, without assigning any reason thereof.

iii. Switching/ Issue of new Securities in conversion of existing Securities

- a) The Reserve Bank, in consultation with the UT Government, may provide the holders of Securities an option to convert certain existing Securities into other Securities at specified price or at a price as determined in auction.
- b) The Reserve Bank may accept or reject any or all bids either wholly or partially, without assigning any reason thereof.

iv. Any other mode, as may be notified by the UT Government, in consultation with the Reserve Bank.

SHURBIR SINGH, Secy. (Finance)